महत्वपूर्ण एवं खास

नवरात्री पूजा देखकर लौट रहे 3 बाईक सवारों को ट्रक ने कुचला, 1 की मौत, 2 गंभीर

न्याय साक्षी/रायगढ़। रायगढ़ जिले के बाकरुमा के पास बड़ा हादसा हुआ है। नवरात्री पूजा देखकर लौट रहे 3 बाईक सवारों को एक ट्रक ने बुरी तरह कुचल दिया है।इस घटना में 1 का सिर पूरी तरह कूचल गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गयी वहीं 2 की स्थिति अभी भी नाजूक बतायी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार राजपाल माझी भीमा यादव और धीर साय रात में नवरात्र पर्व के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने बाँकारुमा आए हुए थे कार्यक्रम देखकर तीनों सुबह अपनी नई पल्सर बाईक से घर डोंगी दरहा जा रहे थे तभी रास्ते में धरमजयगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक सीजी15 डीसी 9700 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उन्हें पीछे से ठोकर मारते हुए अपने चपेट में ले लिया जिससे घटना स्थल पर ही राजपाल माझी की मौत हो गई वहीं घायलों को रैरुमा पुलिस के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है जहां घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है रैरुमा पुलिस आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक को जप्त करते हुए मार्ग कायम कर विवेचना में जुट गई है। घंटो मशक्कत के बाद भी शव वाहन नहीं मिला। मृतक का शव रोड में ही पडा रहा। घटना की जानकारी होने पर डोंगी दरहा गांव में खुशहाली का यह पर्व विजयदशमी मातम में बदल गया है।

चक्रधरनगर पुलिस ने सम्बलपुरी जुआ फड पर की रेड

न्याय साक्षी/रायगढ़। चक्रधरनगर पुलिस द्वारा दिनांक 07.10.19 को सम्बलपुरी देवलास चौक के पास स्ट्रीट लाईट के नीचे जुआ खेल रहे (1) सत्यजीत राठिया पिता भोजराम राठिया उम्र 32 वर्ष (2) कार्तिक गुप्ता पिता सुकालु गुप्ता उम्र 30 साल (3) अशोक गुप्ता पिता निरंजन गुप्ता उम्र 32 साल (4) वरूण गुप्ता पिता राम सजन गुप्ता उम्र 34 वर्ष साकिनान सम्बलपुरी थाना चक्रधरनगर (5) रोहित यादव पिता चन्द्रमणी यादव उम्र 40 वर्ष साकिन रेगड़ा चक्रधरनगर को पकड़े जिनके पास से जुमला रकम 4450 रूपये एवं प्लास्टिक बोरी तथा 52 पत्ती तास जप्त किया गया है। आरोपियों के विरूद्ध थाना चक्रधरनगर में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

शासकीय उचित मूल्य की दूकान में चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना घरघोड़ा अन्तर्गत ग्राम पंचायत औराईमुडा के सचिव गोपीनाथ बेहरा पिता रोहित कुमार बेहरा ग्रा/पो-देवगढ द्वारा दिनांक 07.10.19 को थाना घरघोड़ा में चोरी कि रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.10.19 एवं 07.10.19 के दरम्यिानी रात अज्ञात चोरों द्वारा दुकान के दरवाजा का कुंदा तोडकर 1. चावल 27 कट्टा 13.50 क्वि. 2. शक्कर 5 कट्टा 2.50 क्वि. 3. चना 11 कट्टा 5.50 क्वि. कुल 9100 रूपये को चोरी कर ले गये हैं रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 187/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

गोवर्धन पूजा को गौठान दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा

» मुख्यमंत्री शामिल हुए श्रीमद्भागवत ज्ञानयज्ञ सत्संग समारोह में

बेमेतरा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से मनाए जाने वाले त्यौहार 'गोवर्धन पूजा' को गौठान दिवस के रूप में मनाये जाने की घोषणा की है। गोवर्धन पूजा के दिन प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में गौ-माता की पूजा कर गौवंश को खिचड़ी खिलाने की परंपरा है। प्रदेश सरकार गौ-वंश के संरक्षण के लिए गौठान योजना संचालित कर रही है। मुख्यमंत्री बघेल ने आज बेमेतरा जिले के बेरला विकासखंड के अंतर्गत ग्राम भिंभौरी में आयोजित मद्भागवत ज्ञानयज्ञ सत्संग कार्यक्रम आभार एवं अभिनंदन समारोह में उक्ताशय के विचार व्यक्त किए। समारोह में प्रदेश के गृहजेल एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी, पशुपालन, जलसंसाधन मंत्री रवीन्द्र चौबे, राज्यसभा सांसद मती छाया वर्मा उपस्थित थे। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ-वंश के संरक्षण के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश में गौठान का निर्माण कर पशुओं का संरक्षण किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से आव्हान करते हुए कहा कि गौठान के लिए चारे की व्यवस्था जनता के सहयोग से करना है। इस योजना में सरकार की सहभागिता के अलावा संचालन करने का काम गांव वालों को ही करना है। गोबर से कंपोस्ट एवं वर्मी खाद बना रहे है। हाल ही में अभनपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम बनचरौदा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आगमन भी हो चुका है। उन्होंने गौठान योजना की तारीफ की है। बघेल ने कहा कि गोबर में मिट्टी मिलाकर महिला समूह द्वारा एक लाख दियों का निर्माण किया गया है, दिवाली के पूर्व इसे बेचने के लिए आर्डर भी मिल चुका है। मुख्यमंत्री ने आम नागरिकों से प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने का आव्हान किया। इससे पालतु मवेशियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि गौठान योजना के जरिये पशु नस्ल का सुधार होगा। इससे गांव समृद्ध बनेंगे। महिला स्व-सहायता समूह की स्थिति भी मजबूत होगी।

इंडिगो कार से गांजा तस्करी करते 8 किलो गांजा सहित 4 आरोपी गिरफ्तार

» ग्रामीण के बाड़ी से 10 फिट गांजा का पौधा जप्त » बरमकेला पुलिस की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना बरमकेला में पदस्थ सउनि विजय गोपाल एवं हमराह स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी निरीक्षक डी. मारकण्डे के निर्देशन में अवैध रूप से गांजा परिवहन की मुखबिर सूचना पर ग्राम बुदेली मेन रोड पर नाकेबंदी किया गया था। दोपहर करीब 03:00 बजे मुखबीर के बताये इंडिगा कार क्रं. ओआर 07 पी 9119 सिल्वर रंग को आते रोकवाये जिसमे चार व्यक्ति बैठे मिले जिन्हे नाम पता पुछने पर अपना नाम (1) भारत पटेल पिता नंदलाल पटेल उम्र 40 वर्ष ग्राम कनकीडीपा थाना बरमकेला (2) मनोज पटेल ऊर्फ संजू पिता रामाधार पटेल उम्र 25 वर्ष ग्राम कनकीडीपा थाना बरमकेला (3) बल्लभ चौहान पिता द्रिपसाय चौहान उम्र 50 वर्ष सा. बेंगची थाना बरमकेला (4) अजीत डीगल पिता जूगल डीगल उम्र 28 वर्ष सा. सिंगमिला थाना बालीगुडा जिला कंदमाल उडीसा बताये। जिन्हें नाकाबंदी की कार्यवाही से अवगत कराते हुये उनकी तथा कार की तलाशी लिया गया। कार में एक एक किलो का 08 पैकेट मादक पदार्थ गांजा कुल 8 किलोग्राम कीमती 40,000 /- रूपये मिला , जिसे वजह सबूत जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना बरमकेला में अप.क्र. 184/19 धारा 20 (बी) एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही की गई है।

एक अन्य कार्यवाही में बरमकेला स्टाफ द्वारा मुखबिर सूचना पर ग्राम सिंघारी के बोधराम उर्फ मझला पटेल पिता स्व0 भगवानो पटेल उम्र 64 वर्ष सा0 सिंघारी थाना बरमकेला के घर जाकर एनडीपीएस एक्ट की कार्यवाही के लिये दबिश दिया गया। बरमकेला पुलिस को सूचना मिली थी कि बोधराम उर्फ मझला पटेल अपने घर पिछे बाडी में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा पौधा लगाया है, तलाशी दौरान बोधराम उर्फ मझला पटेल के बाड़ी में लगा एक गांजा पौधा ऊचाई 10 फीट तना की गोलाई 8 इंच जप्त किया गया है। आरोपी के बोधराम उर्फ मझला पटेल के विरूद्ध थाना बरमकेला में अप.क्र. 183/19 धारा 20(क) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है।

रक्षित केन्द्र व सभी थाना/चौकी में हुआ शस्त्र पूजन

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्रतिवर्ष विजयादशमी के दिन शासकीय शस्त्रागारों में शस्त्रों की पूजन करने की चली आ रही परम्परा का निर्वाह करते हुये आज दिनांक 08-10-2019 को प्रातः रक्षित केंद्र उर्दना के रक्षित निरीक्षक प्रशासनिक भवन के प्रांगण में शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं उपस्थित अधिकारियों ने मंत्रोच्चार के साथ विधि-विधान से हथियारों की पूजा की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक (यातयात) आर.के. मिंज, नगर पुलिस अधीक्षक अविनाश सिंह ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक अजाक रायगढ़ श्रीमती नेहा वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक ए.एच.टी.यु. बेनेडिक्ट मिंज, रक्षित निरीक्षक अमरजीत खूंटे, नगर निरीक्षक एस.एन.सिंह, युवराज तिवारी, रूपक शर्मा, अमित शुक्ला, सुश्री अंजना केरकेट्टा, निरीक्षक श्रीमती कौशल्या साहू, निरीक्षक जायसवाल, एम.टी.ओ. सउनि राज कुमार राय सहित रक्षित केन्द्र एवं थाना चौकी के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद थे। सर्वप्रथम रक्षित केन्द्र के कोत में रखे आर्म्स, एम्युनेशन का विधि विधान से पूजा किया गया। उसके बाद पौराणिक परम्परा का निर्वहन करते हुये एस.पी. सिंह द्वारा तलवार से कद्दु के बकरे की बलि दी गई , तत्पश्चात अधिकारियों द्वारा खुले प्रांगण में हर्ष फायर किया गया। आज के दिन विशेष तौर पर सभी थाना/चौकियों में उपलब्ध आर्म्स एम्युनेशन की साफ-सफाई, ऑयल ग्रीसिंग कर पूजन किया जाता है। जिले के सभी थाना/चौकियों में शस्त्र पूजन किया गया है।

कोसीर पुलिस ने अनाचार के फरार आरोपी को कोरबा से किया गिरफ्तार

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोसीर के अप.क्र. 72/19 धारा 376 भादंवि के आरोपी अजय बरेठ 30 साल बडे गंतुली थाना कोसीर को कोसीर पुलिस कोरबा से गिरफ्तार कर रायगढ़ लायी जिसे विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

आरोपी अजय बरेठ के विरूद्ध दिनांक 29.07.19 को 30 वर्षीय युवती द्वारा शिकायत आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि आरोपी अजय बरेठ इसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित किया व अब धोखा देकर अन्य युवती से विवाह करने वाला है।

युवती के आवेदन पर अजय बरेठ के विरूद्ध उपरोक्त अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था, गिरफ्तारी के भय से आरोपी फरार था जिसे गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया जहां से उसे जेल वारंट पर जेल दाखिल किया गया है।

सेवा सप्ताह के चौथे दिन लायनेस क्लब दिव्य ऊर्जा द्वारा स्वच्छता अभियान

न्याय साक्षी/रायगढ़। महात्मा गाँधी का सपना स्वच्छ भारत को चरितार्थ करने हेतु रायगढ़ रेलवे स्टेशन परिसर मे (डिस्ट्रिक्ट केबिनेट सचिव) लायनेस अनीता कपूर ने परिसर को साफ सुथरा रखने हेतु जागरुक किया तथा स्टेशन मास्टर, सफाई कर्मचारीयो व दिव्य ऊर्जा की टीम द्वारा अपने आसपास के क्षेत्र और देश के प्रति स्वच्छता के दायित्व को निभाने हेतु संकल्प शपथ ली गई.

सफाई कर्मचारियो के बीच झाड़ु तथा कुलियो के बीच बिस्कुट के पैकेट वितरित किये गये इस कार्यक्रम की स्टेशन मास्टर राऊत जी तथा वहां उपस्थित लोगो द्वारा क्लब की बहुत प्रशंसा की गई.

कार्यक्रम मे लायनेस अध्यक्ष मीरा पासवान, उमा तोमर, सुनीता अग्रवाल, पुष्पाजली शोभा पांडे, सरिता, व अन्य की सराहनीय उपस्थिति रही.

मारपीट के अपराध में संलिप्त दोनों पक्षों के 7 आरोपी गिरफ्तार

लगातार

दैनिक न्याय साक्षी में दिनांक 08 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया था...

न्याय साक्षी/रायगढ़। शहर में शांति एवं सौहार्द पूर्ण रूप से मनाए जा रहे नवरात्रि पर्व दौरान दिनांक 06-10-2019 की देर रात्रि जयराम कालोनी, गुजरातीपारा में दो परिवारों के बीच मारपीट/बलवा से हुई शांति भंग की घटना को पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा घटना काफी गंभीरता से लिया गया है तथा शहर में त्योहारों दौरान शांति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे इसके लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं नगर पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया एवं मारपीट बलवा की घटना की दोनों अधिकारियों को मॉनिटरिंग के लिए नियुक्त कर पल-पल की प्रगति पर पुलिस अधीक्षक महोदय निगाह रखें हुए हैं।

मारपीट (बलवा) की घटना को लेकर दोनों पक्षों के रिपोर्ट पर दिनांक 07.10.19 को थाना कोतवाली में काऊंटर अप.क्र. 868, 869/19 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506 आईपीसी दर्ज किया गया ।

विवेचना दरम्यान आहतों का मुलाहिजा एवं आहत/प्रत्यक्षदर्शी गवाहों का कथन लिया गया। प्रार्थी कुलदीप नरसिंग के रिपोर्ट पर दर्ज अप.क्र. 868/19 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506 आईपीसी में विवेचना दरम्यान पाये गये साक्ष्य के आधार पर धारा 326, 307 आईपीसी जोड़ा गया प्रकरण में गिरफ्त में आये आरोपीगण (1) राजा गोरख पिता भोला गोरख 38 साल (2) पूनम गोरख पति राजा गोरख 34 साल (3) रेनू गोरख पति बाला गोरख उम्र 28 साल सभी गुजरातीपारा रायगढ़ को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया।

वहीं घटना को लेकर प्रार्थी अंकुर गोरख की रिपोर्ट पर दर्ज किये गये अप.क्र. 869/19 धारा 147, 148, 149, 294, 323, 506 आईपीसी की विवेचना में भी पाये गये साक्ष्य के आधार पर धारा 307 भादंवि जोड़ी गई है, प्रकरण में आरोपी (1) अक्षय उपाध्याय पिता स्वम. द्रोण उपाध्याय 27 साल (2) राज नरसिंग पिता स्वा. सदाफल नरसिंग 19 साल (3) अंकिता नरसिंग पति कुलदीप नरसिग 28 साल (4) पूनम नरसिंग पति केवल नरसिंग 21 साल सभी गुजरातीपारा कोतवाली को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। शेष आरोपीगण फरार हें, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के कोतवाली पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO Ñ- CHHHIN/2018/76480